न्यायालय माननीय म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी — 952-PBR/14

दिनांक 19-3-14 को श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत/
19.3.14
A.S.O
3.45

1. श्रीमती शिखा हार्डिया पत्नी श्री विवेक हार्डिया, निवासी–6/1 नवलखा मेनरोड इन्दौर (म.प्र.)
2. वैभव हार्डिया पुत्र स्व. श्री श्याम हार्डिया, निवासी–6/1 नवलखा मेनरोड इन्दौर (म.प्र.)

....................आवेदकगण

बनाम

1. सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग, इन्दौर (म.प्र.)
2. कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर (म.प्र.)
3. तहसीलदार महोदय तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

Dharmendra Dwivedi Adv.

....................अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्र. 3/अ76/13–14 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2014 के विरुद्ध धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षण।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 942–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–2014	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–3–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर इंदौर द्वारा दिनांक 28–2–2014 को बकाया वसूली का प्रमाण पत्र जारी कर तहसीलदार को वसूली हेतु प्रेषित किया गया है और तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के उक्त प्रमाण पत्र के पालन में आवेदकगण को वसूली हेतु आर0आर0सी0 जारी की गई है तथा आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रकरण मात्र वसूली हेतु वरिष्ठ न्यायालय से प्राप्त हुआ है, इसलिये वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के विपरीत निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है और न ही इसका क्षेत्राधिकार प्राप्त है, क्योंकि यदि आवेदकगण से अवैध रूप से वसूली किये जाने का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है तब आवेदकगण को कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध विधिक उपचार प्राप्त करना था । आर0 आर0 सी0 के प्रकरण में तहसीलदार को कलेक्टर के आदेश की वैधानिकता पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	Noted on 5-4-2014 D. K. Dwivedi Adv.